(3)

वित्तीय स्वीकृति/जिला योजना–आयोजनागत
संख्या :482/XVII–02/2011–बजट10(17) 2009

प्रेषक,

एम0 एच0 खान,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 11 मई, 2011

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के आयोजनागत पक्ष में जिला योजना अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 15, 30 एवं 31 के आयोजनागत पक्ष में जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि को संलग्नक–1 से 8 तक के विवरण के अनुसार जनपदवार फांट करते हुये कुल **रू0 75.19 लाख (रूपये पिचहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में उल्लिखित एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. **जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा सम्प्रेक्षण गृहों आदि का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण (संलग्नक–5) योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि निर्गत/आहरित करने से पूर्व स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा कि इस मद में धनराशि की आवश्यकता है अथवा नहीं। क्योंकि बागेश्वर में इस प्रकार की कोई संस्था संचालित नहीं है। जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा भी संलग्नक–8 में उल्लिखित धन्नराशि को निर्गत/आहरित करने से पूर्व स्वंय सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित मद में धनराशि की आवश्यकता है अथवा नहीं है।**
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
3. वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15, 30 एवं 31 आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

6. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में को व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
7. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेंगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लेने में कठिनाई होती है।
8. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
9. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए।
10. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत जिला योजना में स्वीकृत परिव्यय के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
13. **योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मासिक विवरण सीधे शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत किया जाय। साथ ही बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से निदेशक समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**
14. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
15. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–15, 30 एवं 31 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत संलग्न विवरणों में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा
16. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(एम0 एच0 खान)
सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या : ४८२ /XVII–02/2011–बजट10(17)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी/कुमायू मंडल, नैनीताल।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।

शासनादेश संख्या :482/XVII–02/2011–बजट10(17) 2009 दिनांक 11 मई, 2011 का संलग्नक–1

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–60–102–91–00
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक: 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
लघु शीर्षक : 102–समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन
उप शीर्षक : 91–पेंशन शिविरों का आयोजन

मानक मद : 42–अन्य व्यय

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आबंटित धनराशि
1	नैनीताल	1.00
2	ऊधम सिंह नगर	3.50
3	अल्मोड़ा	5.00
4	पिथौरागढ़	1.00
5	बागेश्वर	3.00
6	चम्पावत	1.50
7	देहरादून	1.00
8	पौड़ी	3.00
9	टिहरी	3.00
10	चमोली	4.00
11	उत्तरकाशी	0.80
12	रूद्रप्रयाग	2.50
योग		29.30

(रूपये उनतीस लाख तीस हजार मात्र)

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या :484/XVII–02/2011–बजट10(17) 2009 दिनांक // मई, 2011 का संलग्नक–2

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–103–9105–00
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक: 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 103–महिला कल्याण
उप शीर्षक : 9105–विधवाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार

मानक मद : 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आबंटित धनराशि
1	नैनीताल	0.18
2	ऊधमसिंह नगर	1.00
3	अल्मोड़ा	0.46
4	पिथौरागढ़	0.28
5	चम्पावत	0.28
6	देहरादून	0.09
7	पौड़ी	0.46
8	उत्तरकाशी	0.28
9	रूद्रप्रयाग	0.09
10	हरिद्वार	0.18
योगः		3.30

(रूपये तीन लाख तीस हजार मात्र)

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या :482/XVII–02/2011–बजट10(17) 2009 दिनांक 11 मई, 2011 का संलग्नक–3

अनुदान संख्या–30 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–103–91–00
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक: 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 103–महिला कल्याण
उप शीर्षक : 91–विधवाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार

मानक मद : 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आबंटित धनराशि
1.	ऊधमसिंह नगर	0.11
2.	पिथौरागढ़	0.11
3.	चम्पावत	0.22
4.	टिहरी	0.11
5.	हरिद्वार	0.11
योगः		0.66

(रूपये छियासठ हजार मात्र)

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या :482/XVII–02/2011–बजट10(17) 2009 दिनांक 11 मई, 2011 का संलग्नक–4

अनुदान संख्या–31 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–796–9104–00
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक: 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 796–जनजाति उप योजना
उप शीर्षक : 9104–विधवाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार

मानक मद : 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आबंटित धनराशि
2	ऊधमसिंह नगर	0.11
योगः		0.11

(रूपये ग्यारह हजार मात्र मात्र)

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या :482/XVII–02/2011–बजट10(17) 2009 दिनांक 11 मई, 2011 का संलग्नक–5

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–800–91
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक: 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 800–अन्य व्यय
उप शीर्षक : 91–सम्प्रेक्षण गृहों आदि का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण

मानक मद : 29–अनुरक्षण

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आबंटित धनराशि
1	नैनीताल	4.96
2	बागेश्वर	25.54
3	देहरादून	0.10
4	चमोली	0.22
योग		30.82

(रूपये तीस लाख ब्यासी हजार मात्र)

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या : 482/XVII–02/2011–बजट10(17) 2009 दिनांक // मई, 2011 का संलग्नक–6

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–101–91–9104
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक: 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
उप शीर्षक : 91–जिला योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : 9104–विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजना

मानक मद : 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आबंटित धनराशि
1	उधमसिंहनगर	1.00
2	चम्पावत	0.60
3	देहरादून	1.00
4	टिहरी	0.80
5	चमोली	0.60
6	उत्तरकाशी	0.40
योग		4.40

(रूपये चार लाख चालीस हजार मात्र)

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या : 489 /XVII–02/2011–बजट10(17) 2009 दिनांक 11 मई, 2011 का संलग्नक–7

अनुदान संख्या–30 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–101–91–9104
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक: 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
उप शीर्षक : 91–जिला योजना
ब्यौरेवार शीर्षक : 9104–विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजना

मानक मद : 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आबंटित धनराशि
1	नैनीताल	0.60
2	चम्पावत	0.20
3	देहरादून	0.20
4	टिहरी	0.20
5	चमोली	0.40
	योग	1.60

(रूपये एक लाख साठ हजार मात्र)

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या :482/XVII–02/2011–बजट10(17) 2009 दिनांक 11 मई, 2011 का संलग्नक–8

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक : 2235–02–104–05–29
मुख्य शीर्षक : 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
उप मुख्य शीर्षक: 02–समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 104–वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निसहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण
उप शीर्षक : 05–वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निसहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण

मानक मद : 29–अनुरक्षण

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आबंटित धनराशि
1	हरिद्वार	5.00
योग		5.00

(रूपये पांच लाख मात्र)

(धनराशि रु0 लाख में)

अनुदान संख्या–15, 30 एवं 31 (आयोजनागत) का महायोग	75.19

(रूपये पिचहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र)

(बी0 आर0 टम्टा)
अपर सचिव